

कार्यालय नगर पंचायत, रामपुर कारखाना, देवरिया।

पत्रांक /नि०/कोटेशन सूचना-2017-18

दिनांक 11 मई 2017

अल्पकालिक निविदा/कोटेशन सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा राज्य वित्त से प्राप्त धनराशि से नगर पंचायत रामपुर कारखाना देवरिया में निर्माण/आपूर्ति कार्य हेतु नगर पालिका परिषद/लो०नि०वि०/आर०ई०एस०/जिला पंचायत में पंजीकृत फर्मों से जो वर्ष 2017-18 के पंजीकृत एवं नवीनीकृत हों, ठेकेदारों/पंजीकृत फर्मों से दिनांक 19-05-2017 को दिन में 2.00 बजे तक मुहरबन्द निविदा/कोटेशन जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया के एल०बी०सी०/टी०ए०सी० पटल पर आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) द्वारा उपस्थित निविदादाताओं/कोटेशनदाताओं के समक्ष जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया में अपरान्ह 4.00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया के टी०ए०सी०/एल०बी०सी० पटल/ नगर पंचायत रामपुर कारखाना कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 17-05-2017 को समय 11.00 बजे से 2.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। इस विज्ञापन को वेबसाइट www.deoria.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

क्रम सं०	निर्माण कार्य का नाम	आगरण की धनराशि	जमानत की धनराशि	निविदा मूल्य	कार्य अवधि
1	इन्द्रासन प्रजापति के घर से बहरामपुर टोला होते हुये नगर पंचायत सीमा तक पिच रोड सुधार कार्य।	1480000-00	150000-00	1500-00	20 दिन
2	लक्ष्मण के से वकील के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	338400-00	34000-00	350-00	20 दिन
3	नगर पंचायत कार्यालय का मरम्मत कार्य।	477900-00	48000-00	500-00	एक माह
4	एल०ई०डी० स्ट्रीट लाइट	-	50000-00	500-00	20 दिन

नियम एवं शर्त :-

- 1- निविदादाता/कोटेशनदाता को जमानत की 10 प्रतिशत धनराशि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें किसान विकास पत्र, एन०एस०सी०,एफ० डी० आर० अथवा नकद अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रामपुर कारखाना के पदनाम से प्लेज हो, जमा करना होगा।
- 2- एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सक्षम अधिकारी/अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
- 6- 100-00 (एक सौ रुपये) के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र तैयार कर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपना पासपोर्ट साईज का फोटो प्रमाणित करा कर निविदा/कोटेशन प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- 7- निविदा/कोटेशन के समय विवाद की दशा में अध्यक्ष नगर पंचायत रामपुर कारखाना का ही निर्णय मान्य होगा।
- 9- ठेकेदार/फर्म को आगमन के अनुस्तर कार्य करना होगा, किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।
- 11- ठेकेदार को निविदा स्वीकृति के पश्चात कार्यदेश प्राप्त होने पर एक सप्ताह के अन्दर समस्त औपचारिकताओं को पूरा करते हुये कार्य करना होगा। अन्यथा ठेका निरस्त करते हुये जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- 12- जमानत की धनराशि छः माह के पश्चात यदि कार्य सन्तोष जनक पाया गया तो वापस कर दी जायेगी।
- 17- आयकर व्यापार कर की कटौती निकाय द्वारा की जायेगी। और किसी प्रकार का वेट का भुगतान निकाय स्तर से नहीं किया जायेगा।
- 18- निविदादाता/कोटेशनदाता को निर्धारित समय के अन्दर कार्य/आपूर्ति करना होगा। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य/आपूर्ति न करने की दशा में 500-00 प्रति दिन दण्ड देना होगा।
- 19- निविदा सूचना देवरिया की वेबसाइट www.deoria.nic.in/ www.rampurkarkhana.in पर भी देखा जा सकता है।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत रामपुर कारखाना,
देवरिया।

अध्यक्ष,
नगर पंचायत रामपुर कारखाना,
देवरिया।

पत्रांक 338(2) /दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदय, देवरिया।
- 2- प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, देवरिया।
- 3- जिला सूचना एवं विज्ञापन अधिकारी, (एन०आई०सी०)देवरिया।
- 4- मा० समस्त अधिशासी अधिशासी गण नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जनपद देवरिया।
- 5- नोटिस: बोर्ड पर घरपा हैतु।
- 6- सम्पादकस्यको इस आशय से प्रेषित की अपने "स्वतंत्र भारत"/"स्वतंत्र चेतना" समाचार पत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत रामपुर कारखाना,
देवरिया।

राधिका
अध्यक्ष,
नगर पंचायत रामपुर कारखाना,
देवरिया।

नगर पंचायत रामपुर कारखाना,
देवरिया।